३

उद्देश्य, लक्ष्य और नीति क्षेत्र

3.1 क्षेत्रीय योजना-2001 के उद्देश्य और लक्ष्य तथा उनका कार्यान्वयन

जनवरी 1989 में अधिसूचित क्षेत्रीय योजना-2001 में विकास संबंधी नीतियां निर्धारित की गई थी जिनका उद्देश्य था:

(i) राजधानी को अतिरिक्त दबावों से मुक्त कराना,
(ii) राजधानी पर नए दबाव न पड़ने देना और
(iii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बस्तियों का विकास ताकि वह अपने निर्धारित प्रयोजन को पूरा समर्थ कर सके ।

क्षेत्रीय योजना-2001 का उद्देश्य क्षेत्र का संतुलित और सुव्यवस्थित विकास, को उपलब्ध करना जिससे कि आर्थिक गतिविधियों का वितरण हो और दिल्ली में भविष्य में आनेवाले प्रवासियों का विस्थापन किया जा सके, ताकि दिल्ली नियंत्रण योग्य सीमा में हो । इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्षेत्रीय योजना में तीन नीति क्षेत्रों का प्रस्ताव रखा गया था नामतः एन.सी.टी.-दिल्ली, दिल्ली महानगर क्षेत्र तथा शेष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ।

इन क्षेत्रों के लिए जो मुख्य नीति घटक रखे गए और गत दो दशकों के दौरान जहाँ तक इन्हें पूरा किया गया है उसका ब्यौरा निम्नलिखित है:

- एन.सी.टी.-दिल्ली (1,483 वर्ग किलोमीटर) में सीमित वृद्धि और उसमें संकेन्द्रित गतिविधियों को पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विकेन्द्रित किया जाए । तदनुसार योजना में 2001 तक 132 लाख की अनुमानित आबादी की तुलना में इस क्षेत्र के लिए 2 लाख ग्रामीण आबादी सहित 112 लाख आबादी निर्धारित की गई, जिसके द्वारा 20 लाख व्यक्ति शेष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विस्थापित करना । इस निर्धारण की तुलना में, जनगणना 2001 के अनुसार वस्तुतः दिल्ली की आबादी 138 लाख हो गई है जो कि अनुमानित आबादी से भी आगे हो गई ।

- एन.सी.टी.-दिल्ली को छोड़कर दिल्ली महानगर क्षेत्र (1,696.85 वर्ग किलोमीटर) जिसमें उत्तर प्रदेश में नियंत्रित/विकास क्षेत्र गाजियाबाद-लोनी के सटे हुए नगरों और नोएडा, हरियाणा में फरीदाबाद-बल्लभगढ़ परिसर, गुड़गाँव, बहादुरगढ़, कोंडली तथा विस्तृत दिल्ली रिज़ शामिल है । इस क्षेत्र में 2001 तक 38 लाख (एक लाख ग्रामीण आबादी सहित) की आबादी बसाने का प्रस्ताव था । तथापि, जनगणना 2001 के अनुसार दिल्ली महानगर क्षेत्र के कस्बों में केवल 28 लाख आबादी बस पाई, हालांकि इनमें से दो कस्बों अर्थात् फरीदाबाद और गाजियाबाद-लोनी में काफी हद तक निर्धारित आबादी का ध्येय पूरा किया, परंतु शेष कस्बे अभी बहुत पीछे हैं, विशेषकर कोंडली जहाँ बसाव का कार्य शुरू नहीं हुआ है ।

- शेष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत अभिप्रेरित विकास के लिए 27,063 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है विशेषकर प्राथमिकता कस्बों/परिसरों में नामतः मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर-खुर्जा परिसर, पलवल, पानीपत, रोहतक, धारूहेड़ा-रेवाडी-भिवाड़ी परिसर और अलवर शामिल हैं । क्षेत्रीय योजना-2001 में प्रस्ताव रखा गया था कि दिल्ली से विस्थापित की जानेवाली 20 लाख अतिरिक्त आबादी में से 19 लाख को प्राथमिकता कस्बे/परिसरों में तथा एक लाख को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में बसाया जाएगा। तदनुसार, 2001 तक प्राथमिकता कसबों में कुल 49 लाख जनसंख्या को बसाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसकी तुलना में जनगणना 2001 के अनुसार लगभग 28 लाख आबादी अंकित की गई थी । इनमें सर्वाधिक धीमी वृद्धि दर अंकित की गई और प्रोत्साहन का कोई प्रभाव नहीं दिखा ।

3

AIMS OBJECTIVES AND POLICY ZONES

3.1 AIMS AND OBJECTIVES OF REGIONAL PLAN-2001 & THEIR EFFECTUATION

The Regional Plan-2001, which was notified in January 1989, laid down development policies aimed at:

(i) relieving the capital city from additional pressures,
(ii) avoid adding new pressures on the capital and
(iii) development of settlements in NCR to enable them to play their assigned role.

The objective of the Regional Plan-2001 has been to achieve a balanced and harmonious development of the region, leading to dispersal of economic activities and deflecting future in-migrants to Delhi, thereby leading to a manageable Delhi. In order to achieve these objectives the Regional Plan proposed three policy zones namely NCT-Delhi, DMA and the Rest of NCR.

The broad policy parameters for these zones and the extent to which these have been met during the last two decades are as under:

- NCT-Delhi (1,483 sq kms) to have restricted growth and decentralization of activities concentrated therein to the entire NCR. The Plan accordingly assigned a population of 112 lakhs including two lakhs rural population to this zone as against the estimated population of 132 lakh by 2001, thereby deflecting 20 lakhs people to the Rest of NCR. Against this assignment, Delhi has actually grown to 138 lakhs as per Census 2001 thereby overshooting the estimated population.

- The DMA excluding NCT-Delhi (1,696.85 sq kms) comprising the controlled/development areas of the contiguous towns of Ghaziabad-Loni and NOIDA in Uttar Pradesh, Faridabad-Ballabhgarh complex, Gurgaon, Bahadurgarh, Kundli and the extension of Delhi ridge in Haryana. This zone was proposed to have a population of 38 lakhs (including one lakh rural population) by 2001. However, the Census 2001 has shown that the DMA towns have attained a population of only 28 lakhs, though two of its towns i.e., Faridabad and Ghaziabad-Loni have come up very close to their assigned population, the rest are still far behind, especially Kundli which is still to take off.

- The Rest of NCR comprising an area of 27,063 sq kms for induced development specially of the priority towns/complexes namely Meerut, Hapur, Bulandshahr-Khurja complex, Palwal, Panipat, Rohtak, Dharuhera-Rewari-Bhiwadi complex and Alwar. The Regional Plan-2001 had proposed that out of the additional 20 lakhs population slated to be deflected from Delhi, 19 lakhs would be accommodated in the Priority towns/complexes and one lakh in the rural areas of NCR. Accordingly, a total population of 49 lakhs was assigned to the Priority towns by 2001, against which these towns attained a population of about 28 lakhs as per the Census 2001. They recorded slowest growth rate showing no inducement.

3.2 भविष्य में विकास हेतु नीतियां: क्षेत्रीय योजना-2021

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि दिल्ली की आबादी नियंत्रित करने और 20 लाख जनसंख्या को वहां से बाहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विस्थापित करने की आधारित नीति को बहुत कम सफलता मिली है । साथ ही, शेष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्राथमिकता नगरों के लिए जिस अभिप्रेरित विकास की संकल्पना की गई थी वह फलित नहीं हुई है ।

तदनुसार, दिल्ली के प्रतिबंधित विकास की नीति की समीक्षा की गई है और क्षेत्रीय योजना-2021 में "भागीदारी राज्यों के सक्रिय सहयोग के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सुव्यवस्थित, संतुलित और पर्यावरणीय तौर पर सुस्थिर स्थानिक-आर्थिक विकास के लिए दिल्ली द्वारा जनित समूहपरक अर्थव्यवस्था और विकास के विस्तार को लाभदायक बनाने का प्रस्ताव है " ।

अतः, क्षेत्रीय योजना-2021 का लक्ष्य *"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वृद्धि और संतुलित विकास करना "* है जैसा कि अधिनियम, 1985 की धारा 10, उप-धारा (2) में दिया गया है ।

उपर्युक्त लक्ष्य की प्राप्ति निम्नलिखित माध्यम से की जाएगी:

i) एन.सी.टी.-दिल्ली के आर्थिक विकास की प्रवृत्ति के साथ चलने में सक्षम क्षेत्रीय बस्तियों की पहचान और विकास करके भविष्य में विकास के लिए उपयुक्त आर्थिक आधार का प्रबंध करना ।

ii) इस प्रकार की चिन्हित बस्तियों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को सहायता देने के लिए भूमि-उपयोग के साथ पूर्ण रूप से समन्वित प्रभावी और किफायती रेल और सड़क परिवहन नेटवर्क (जन परिवहन प्रणालियों सहित) उपलब्ध कराना ।

iii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विकास प्रक्रिया के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने का प्रयास करना ।

iv) चुनिंदा शहरी बस्तियों में एन.सी.टी.-दिल्ली के समकदा शहरी अवस्थापनात्मक सुविधाओं जैसे परिवहन, बिजली, संचार, पेय जल, मल-जल व्यवस्था, जल-निकास व्यवस्था आदि का विकास करना ।

v) युक्तिसंगत भूमि-उपयोग रूपरेखा निर्धारित करना ताकि उपजाऊ कृषि भूमि का बचाव तथा संरक्षण किया जा सके तथा गैर-उपजाऊ भूमि को शहरी उपयोग में लाया जा सके ।

vi) जीवन स्तर सुधारने के लिए क्षेत्र में निरंतर वहनीय (sustainable) विकास प्रोत्साहित करना ।

vii) संसाधन जुटाव की मौजूदा प्रणालियों की कार्यदक्षता में सुधार करना और संसाधन जुटाव के नए तरीके अपनाना तथा वांछित क्षेत्रों में निजी निवेश को आसान बनाना, आकर्षित करना तथा उनका दिशा-निर्देशन करना ।

उपर्युक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्रीय योजना-2021 में चार नीति क्षेत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विकास करने का प्रस्ताव रखा गया है, नामतः (i) एन.सी.टी.-दिल्ली (ii) केन्द्रीय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (के.रा.रा.क्षे.) (iii) राजमार्ग कारीडोर क्षेत्र और (iv) शेष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (मानचित्र 3.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: नीति क्षेत्र) जिसके लिए निम्नलिखित विकास नीतियों की संकल्पना की गई है ।

3.2.1 एन.सी.टी.-दिल्ली

एन.सी.टी.-दिल्ली (1,483 वर्ग किलोमीटर) के संबंध में मूल नीति है विकास योग्य भूमि एवं जल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण की दृष्टि से सुस्थिर विकास/पुनर्विकास का लक्ष्य प्राप्त करना । इस क्षेत्र में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही सेक्टरों में कोई भी नए महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों अर्थात् उद्योग, थोक व्यापार एवं वाणिज्य जिनसे बड़े स्तर पर रोजगार सृजन हो, स्थापित नहीं किए जाने चाहिए । केवल एन.सी.टी.-दिल्ली की स्थानीय आबादी की जरूरतें पूरी करने योग्य गतिविधियों के लिए अनुमति दी जानी चाहिए ।

3.2 POLICIES FOR FUTURE DEVELOPMENT: REGIONAL PLAN-2021

It is obvious from the above that the policy to contain the population of Delhi and deflecting 20 lakhs population outside to NCR has met with very little success. Also the induced growth envisaged for the Priority towns in the Rest of NCR has not taken place.

Accordingly, the policy of restricted growth of Delhi has been reviewed and the Regional Plan-2021 proposes "to harness the spread of the developmental impulse and agglomeration economies generated by Delhi for harmonized, balanced and environmentally sustainable spatio-economic development of the NCR with effective cooperation of the participating States".

Therefore, the Regional Plan-2021 aims *"to promote growth and balanced development of the National Capital Region"* as per Section 10, Sub-section (2) of the Act, 1985.

The above aim is sought to be achieved through:

i) Providing suitable economic base for future growth by identification and development of regional settlements capable of absorbing the economic development impulse of NCT-Delhi.

ii) To provide efficient and economic rail and road based transportation networks (including mass transport systems) well integrated with the land use patterns, to support balanced regional development in such identified settlements.

iii) To minimise the adverse environmental impact that may occur in the process of development of the National Capital Region.

iv) To develop selected urban settlements with urban infrastructural facilities such as transport, power, communication, drinking water, sewerage, drainage etc. comparable with NCT-Delhi.

v) To provide a rational land use pattern in order to protect and preserve good agricultural land and utilise unproductive land for urban uses.

vi) To promote sustainable development in the region to improve quality of life.

vii) To improve the efficiency of existing methods of resource mobilisation and adopt innovative methods of resource mobilisation and facilitate, attract and guide private investment in desired direction.

Keeping the above objectives in view, the Regional Plan-2021 has proposed the development of NCR through four policy zones namely- (i) NCT-Delhi, (ii) Central National Capital Region (CNCR), (iii) Highway Corridor Zone and (iv) Rest of NCR (Map 3.1 National Capital Region: Policy Zones) for which the following development policies have been envisaged.

3.2.1 NCT-Delhi

The basic policy for NCT-Delhi (1,483 sq kms) is to achieve environmentally sustainable development/re-development, taking into account the limitation of developable land and water. No new major economic activities i.e., industries, wholesale trade and commerce, which may result in a large scale job creation, both in formal as well as informal sectors, should be located in this zone. Only activities necessary to sustain the local population of NCT-Delhi should be permitted.

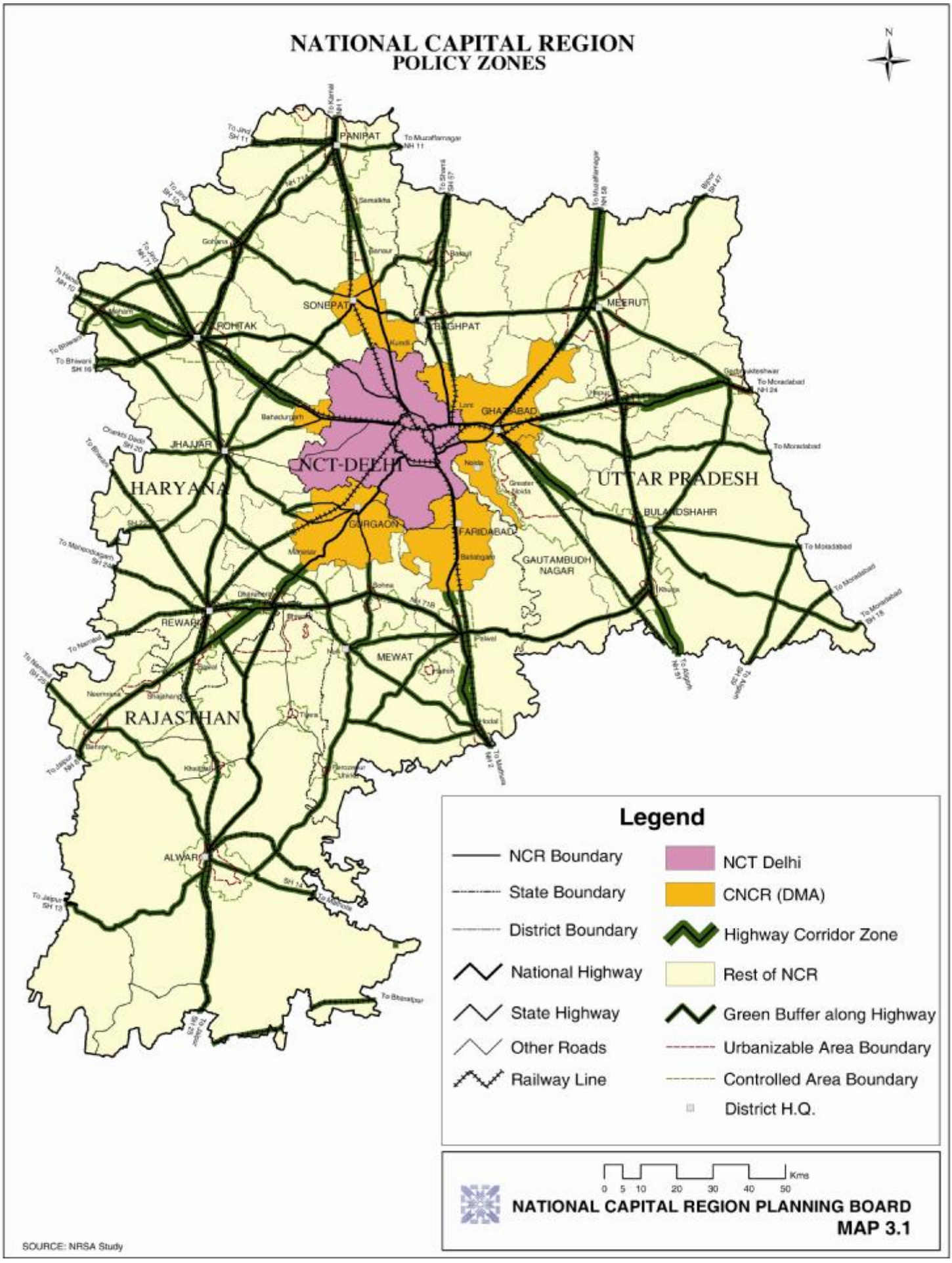
NATIONAL CAPITAL REGION
POLICY ZONES
N
PANIPAT
SONEPAT
MEERUT
ROHTAK
BAGHPAT
GHAZIABAD
JHAJJAR
NCT-DELHI
HARYANA
UTTAR PRADESH
GURGAON
FARIDABAD
BULANDSHAHR
GAUTAMBUDH NAGAR
REWARI
MEWAT
RAJASTHAN
ALWAR
Legend
NCR Boundary
State Boundary
District Boundary
National Highway
State Highway
Other Roads
Railway Line
NCT Delhi
CNCR (DMA)
Highway Corridor Zone
Rest of NCR
Green Buffer along Highway
Urbanizable Area Boundary
Controlled Area Boundary
District H.Q.
0 5 10 20 30 40 50 Kms
NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD
MAP 3.1
SOURCE: NRSA Study

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
नीति क्षेत्र

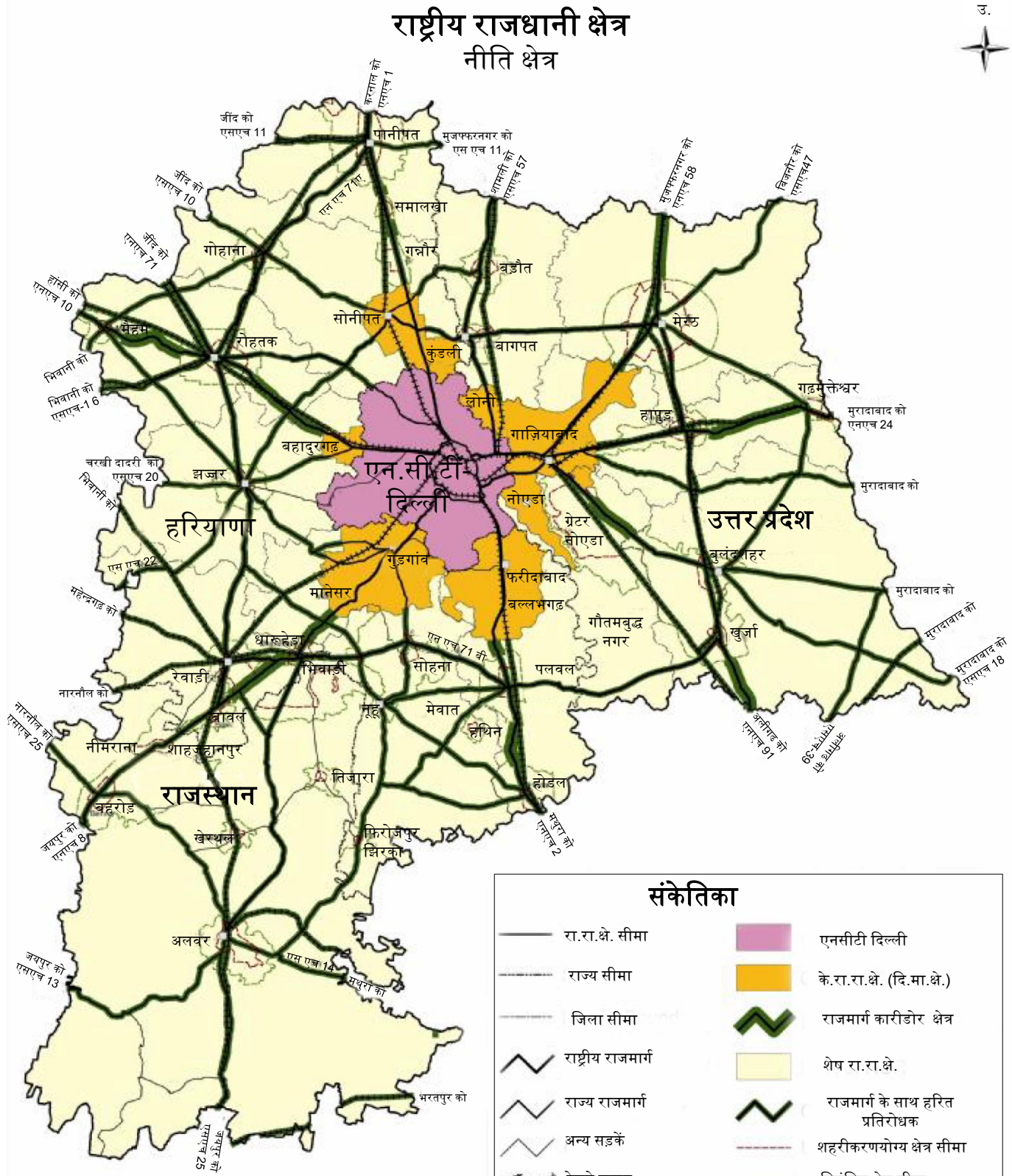

संकेतिका

- रा.रा.क्षे. सीमा
- राज्य सीमा
- जिला सीमा
- राष्ट्रीय राजमार्ग
- राज्य राजमार्ग
- अन्य सड़कें
- रेलवे लाइन
- एनसीटी दिल्ली
- के.रा.रा.क्षे. (दि.मा.क्षे.)
- राजमार्ग कारीडोर क्षेत्र
- शेष रा.रा.क्षे.
- राजमार्ग के साथ हरित प्रतिरोधक
- शहरीकरणयोग्य क्षेत्र सीमा
- नियंत्रित क्षेत्र सीमा
- जिला मुख्यालय

कि.मी.
0 5 10 20 30 40 50

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना बोर्ड
मानचित्र 3.1

स्रोत – एनआरएसए अध्ययन

3.2.2 एन.सी.टी.-दिल्ली को छोड़कर केन्द्रीय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

केन्द्रीय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (क्षेत्रीय योजना-2001 में परिभाषित दिल्ली महानगर क्षेत्र), में गाजियाबाद-लोनी के सटे हुए जुड़वाँ कस्बे, नोएडा, गुड़गांव-मानेसर, फरीदाबाद-बल्लवगड़, बहादुरगढ़ और सोनीपत-कुंडली तथा हरियाणा में रिज़ के विस्तार क्षेत्र के अधिसूचित नियंत्रित/विकास/विनियमित क्षेत्र शामिल हैं। 1,696 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के इन नियंत्रित/विकास/विनियमित क्षेत्र में परिवर्तन आया है । कई मामलों में, नए क्षेत्र जोड़े गए हैं ।

इसके मद्देनज़र उपर्युक्त नगरों गाजियाबाद-लोनी, नोएडा, गुड़गांव-मानेसर, फरीदाबाद-बल्लभगढ़, बहादुरगढ़ तथा सोनीपत-कुंडली सहित के मौजूदा अधिसूचित नियंत्रित क्षेत्रों को क्षेत्रीय योजना-2021 के लिए केन्द्रीय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (के.रा.रा.क्षे.) नामित किया गया है । के.रा.रा.क्षे. का कुल क्षेत्रफल (एन.सी.टी.-दिल्ली को छोड़कर) लगभग 2,000 वर्ग किलोमीटर होगा ।

के.रा.रा.क्षे. द्वारा प्रदत्त अवसरों का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए ताकि वह एन.सी.टी.-दिल्ली की प्रतिस्पर्धा में आ सके और एन.सी.टी.-दिल्ली से बेहतर न सही उसके समकक्ष रोजगार के अवसर, आर्थिक गतिविधियां, व्यापक परिवहन प्रणाली, आवास, सामाजिक अवसंरचना स्थापना और पर्यावरण की पेशकश कर सकें । एन.सी.टी.-दिल्ली में स्थापित होने के इच्छुक सभी नई मुख्य आर्थिक और गैर-प्रदूषणकारी गतिविधियों को इस क्षेत्र में नियोजित शहरीकरण हेतु उपयुक्त क्षेत्रों में स्थापित किया जाना चाहिए ।

के.रा.रा.क्षे. में भौतिक वृद्धि और विकास के अत्यधिक दबाव को ध्यान में रखते हुए भागीदारी राज्य केन्द्रीय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आनेवाले अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए एक योजना तैयार करेंगे और के.रा.रा.क्षे. योजना दल को रा.रा.क्षे.योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 32 के तहत के.रा.रा.क्षे. हेतु योजना का समन्वयन करने का अधिकार दिया जाएगा । परिवहन, नागरिक सुविधा, भूमि-उपयोग और संरक्षण पर बल दिया जाना चाहिए ।

3.2.3 राजमार्ग कारीडोर क्षेत्र

दिल्ली में मिलने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 1, 2, 8, 10, 24, 58 और 91 के साथ-साथ गमनागमनाधिकार के दोनों ओर हरित प्रतिरोधक सहित न्यूनतम 500 मीटर की चौड़ाई के राजमार्ग कोरीडोर क्षेत्र का प्रस्ताव है ताकि मौजूदा नियंत्रित/विकास/ विनियमित क्षेत्रों के बाहर तक से राजमार्ग के साथ-साथ नियोजित और विनियमित विकास किया जा सके । राजमार्ग कोरीडोर क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग 300 वर्ग किलोमीटर है ।

राजमार्ग के दोनों ओर हरित प्रतिरोधक क्षेत्र में अनुमत गतिविधियों की सूची अध्याय 17 के क्षेत्र बनाने संबंधित विनियमों में दी है। तथापि, हरित प्रतिरोधक क्षेत्र को छोड़कर राजमार्ग कारीडोर क्षेत्र के भूमि-उपयोग संबंधी निर्णय आर्थिक दबाव, स्थानीय परिस्थितियों तथा क्षेत्र में विकास की संभावना को ध्यान में रखते हुए सबंधित राज्य सरकारों द्वारा किये जाएंगें ।

राजमार्ग कारीडोर क्षेत्र को रेखांकित तथा अधिसूचित संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा । तथापि, इन क्षेत्रों की योजना बनाते समय इसका पूरा ध्यान रखना होगा कि इस क्षेत्र में जिन गतिविधियों की अनुमति दी जा रही है वे यथावश्यक हरित पट्टी, छोटी सड़कों के माध्यम से तथा राजमार्ग से निश्चित दूरी रखते हुए राजमार्ग यातायात से अलग-थलग रहें ।

3.2.4 शेष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

शेष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (लगभग 29,795 वर्ग किलोमीटर) में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों में त्वरित विकास के लिए क्षेत्रीय योजना-2001 की बुनियादी नीति चलती रहेगी । स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर अवस्थापना में काफी सुधार (राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा) करना होगा ताकि इन क्षेत्रों, विशेषकर चिन्हित बस्तियों अर्थात् मेट्रो केन्द्रों तथा क्षेत्रीय केन्द्रों, में विकास किया जा सके । इससे ये क्षेत्र ज्यादा आकर्षित बन जाएं जिससे वहां आर्थिक तथा संबंधित गतिविधियों की स्थापना होगी और निजी निवेश को आकर्षित कर सकें ।

3.2.2 Central National Capital Region excluding NCT-Delhi

The Central NCR (earlier Delhi Metropolitan Area as defined in Regional Plan-2001) comprised the notified controlled/development/regulated areas of contiguous towns of Ghaziabad-Loni, NOIDA, Gurgaon, Faridabad-Ballabgarh, Bahadurgarh and Sonepat-Kundli and the extension of the Ridge in Haryana. These controlled/development/regulated areas, measuring 1,696 sq kms, have undergone changes. In many cases, new areas have been added.

In view of this, the present notified controlled areas of the above towns of Ghaziabad-Loni, Noida, Gurgaon-Manesar, Faridabad-Ballabgarh, Bahadurgarh and Sonepat-Kundli are designated as Central National Capital Region (CNCR) for Regional Plan-2021. The total area of CNCR (excluding NCT-Delhi) would be 2,000 sq kms approximately.

The opportunities presented by CNCR need to be maximized to enable it to compete effectively with NCT-Delhi offering jobs, economic activities, comprehensive transport system, housing, social infrastructure and quality of environment, if not better at least at par with NCT-Delhi. All new major economic and non-polluting activities wanting to get located in NCT-Delhi should be located in the urbanisable areas planned in this zone.

Keeping in view the physical growth and excessive pressure of development in the CNCR, the participating states will prepare a Plan for their respective areas falling in CNCR and a CNCR Planning Group would be assigned the power to coordinate and harmonize the Plan for CNCR under Section 32 of the NCRPB Act,1985. Emphasis should be given to transportation, civic infrastructure, land use and conservation.

3.2.3 Highway Corridor Zone

A Highway Corridor Zone is proposed with a minimum width of 500 metres inclusive of green buffer on either side of the right-of-way (ROW) along the National Highway (NH) 1, 2, 8, 10, 24, 58 and 91 converging at Delhi to enable the planned and regulated development along these highways outside the existing controlled/development/regulated areas. Area of the Highway Corridor Zone is 300 sq kms approximately.

Activities permitted in the green buffer on both the sides of the highways have been listed in the zoning regulations in Chapter 17. However, in the Highway Corridor Zone excluding green buffer, the land use will be decided by the respective State Governments depending upon economic pressure, local situation and development potential of the area.

The Highway Corridor Zone will be delineated and notified by the respective State Governments. However, utmost care will have to be taken while planning these zones to ensure that the activities being permitted in this zone are segregated from highway traffic through proper green belts, service roads and controlled access to the highways.

3.2.4 Rest of NCR

In the Rest of NCR (approximately 29,795 sq kms), the basic policy of Regional Plan-2001 for accelerated development of both urban and rural areas will continue. Infrastructure has to be substantially upgraded at local and regional level (both by State and Central Governments) in order to induce the growth in these areas, specifically in the identified settlements i.e., Metro Centres and Regional Centres. This will make them more attractive for locating economic and allied activities and for attracting private sector investment.